

**न्यायालय-अमनदीपसिंह छाबडा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर
जिला बालाघाट म.प्र.**

व्यवहार वाद क.-125ए/2016

संस्थित दिनांक-09.09.2011

1. कौसुलाबाई पति हीरूसिंह, उम्र-55 वर्ष, जाति गोंड
निवासी-ग्राम खुड्डीपुर, पोस्ट-डोरा, तहसील बैहर,
जिला बालाघाट म.प्र.

.....वादी

:: विरुद्ध ::

1. हेमराज पिता प्रताप सिंह, उम्र-70 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम खुड्डीपुर, पोस्ट-डोरा, तहसील बैहर,
जिला बालाघाट म.प्र.
2. लोकनाथ सिंह पिता प्रताप सिंह, जाति गोंड, (फौत घोषित)
निवासी-ग्राम खुड्डीपुर, पोस्ट-डोरा, तहसील बैहर,
जिला बालाघाट म.प्र.
- 2अ. चम्पनबाई पति लोकनाथ सिंह, उम्र-58 जाति गोंड,
निवासी-ग्राम खुड्डीपुर, पोस्ट-डोरा, तहसील बैहर,
जिला बालाघाट म.प्र.
- 2ब. बसन्तीबाई पति नामालूम, उम्र-40 वर्ष,
निवासी-ग्राम चरेगांव(समनापुर)
जिला बालाघाट
- 2स. सनोतीबाई पति झनकलाल, उम्र-38
निवासी-ग्राम नैतरा, जिला बालाघाट
- 2द. राजेन्द्र पिता लोकनाथसिंह, उम्र-55 वर्ष, जाति गोंड,
- 2.ड. लक्ष्मीबाई पिता लोकनाथसिंह, उम्र-32 वर्ष, जाति गोंड,
- 2.क. दिनेश पिता लोकनाथसिंह, उम्र-30 वर्ष, जाति गोंड,
- 2.ख. श्यामसिंह पिता लोकनाथसिंह, उम्र-28 वर्ष, जाति गोंड,
- 2.ग. अहिल्याबाई पिता लोकनाथसिंह, उम्र-25 वर्ष, जाति गोंड,
3. नारायणसिंह पिता प्रतापसिंह, उम्र-66 वर्ष, जाति गोंड, (फौत घोषित)
- 3अ. श्रीमती कचराबाई पति स्व. नारायणसिंह, उम्र-45 वर्ष, जाति गोंड
- 3ब. दिलीप पिता नारायणसिंह, उम्र-24 वर्ष, जाति गोंड
- 3स. ललिता पिता नारायणसिंह, उम्र-27 वर्ष, गोंड
सभी निवासी-ग्राम खुड्डीपुर, पोस्ट-डोरा, तहसील बैहर,
जिला बालाघाट म.प्र.
4. खेमसिंह पिता प्रतापसिंह, उम्र-64 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम फत्तेपुर, पोस्ट-भीड़ी
5. पारवतीबाई पति नजाबसिंह, उम्र-65 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम तिरगांव, पोस्ट-मजगांव,
6. भानमतीबाई पति ज्ञानसिंह उयके, उम्र-67 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम मोहबट्टा, तहसील बैहर,
7. प्रेमराजसिंह पिता प्रतापसिंह, उम्र-62 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम भीड़ी, पोस्ट-भीड़ी
8. बीछलबाई पति अनरुद्धसिंह, उम्र-60 वर्ष, जाति गोंड,

- निवासी-ग्राम केसलई, पोस्ट-डोरा,
9. सत्तीबाई उर्फ सरस्वती पति उमेन्दसिंह, उम्र-44 वर्ष, जाति गोंड
निवासी-ग्राम भीमा, पोस्ट गुदमा
 10. रूपरामसिंह पिता हिम्मतसिंह, उम्र-66 वर्ष, जाति गोंड,
 11. कैलाशसिंह पिता हिम्मतसिंह, उम्र-63 वर्ष, जाति गोंड,
 12. केशरसिंह पिता हिम्मतसिंह, उम्र-60 वर्ष, जाति गोंड,
तीनों निवासी-ग्राम फत्तेपुर, पोस्ट भीड़ी
 13. मुन्नीबाई पति उदलसिंह, उम्र-67 वर्ष, जाति गोंड,
 14. गनेशबाई पति बीरसिंह, उम्र-65 वर्ष, जाति गोंड,
दोनों निवासी-ग्राम मोहबट्टा, बैहर
 15. राजू पिता नान्हूसिंह, उम्र-22 वर्ष, जाति गोंड,
 16. रानू पिता नान्हूसिंह, उम्र-20 वर्ष, जाति गोंड,
दोनों निवासी-ग्राम बिजोरा, पोस्ट-पिपरिया
 17. धरमकुंवर उर्फ भुनेशबाई पति ज्ञानसिंह धुर्वे, उम्र-44 वर्ष,
जाति गोंड, निवासी-सिविल लाईन बैहर,
 18. नवलसिंह पिता दीपसिंह, जाति गोंड, **(फौत घोषित)**
निवासी-ग्राम नैतरा
 - 18अ. संध्याबाई पति स्व. नवलसिंह, उम्र-48 वर्ष, जाति गोंड,
 - 18ब. पुष्पजीत पिता स्व. नवलसिंह, उम्र-25 वर्ष, जाति गोंड,
 - 18स. धर्मेन्द्र पिता स्व. नवलसिंह, उम्र-21 वर्ष, जाति गोंड,
 - 18द. मनीष पिता स्व. नवलसिंह, उम्र-19 वर्ष, जाति गोंड,
सभी निवासी-ग्राम नैतरा, तहसील बैहर,
हाल मुकाम-केयर ऑफ रमा तेकाम वार्ड नंबर-13,
सभाष नगर, आई.टी.आई. रोड बूढ़ी बालाघाट,
तहसील व जिला बालाघाट म.प्र.
 19. चैनसिंह पिता दीपसिंह, उम्र-53 वर्ष, जाति गोंड,
 20. झनकलाल पिता दीपसिंह, उम्र-50 वर्ष, जाति गोंड,
 21. बनसपाल पिता दीपसिंह, उम्र-45 वर्ष, जाति गोंड,
सभी निवासी-ग्राम नैतरा
 22. सम्मेबाई पिता चन्दनसिंह, उम्र-25 वर्ष, जाति गोंड,
 23. चन्दनसिंह पिता जिलेसिंह, उम्र-60 वर्ष, जाति गोंड,
दोनों निवासी-ग्राम फत्तेपुर
 24. नान्हूसिंह पिता पुजारी, उम्र-55 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम बिजोरा,
 25. मीराबाई पति डिलनसिंह, उम्र-58 वर्ष, जाति गोंड
 26. चन्द्रभानसिंह पिता डिलनसिंह, उम्र-35 वर्ष, जाति गोंड,
 27. सत्यवन्ती पिता डिलनसिंह, उम्र-40 वर्ष, जाति गोंड,
 28. चमेलीबाई पिता डिलनसिंह, उम्र-32 वर्ष, जाति गोंड,
सभी निवासी-ग्राम फत्तेपुर,
 29. सोमेलाल पिता नामालूम, उम्र-35 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम तुमड़ीभाट
 30. घनश्याम पिता सोमेलाल उम्र-11 वर्ष,
नाबालिग वली पिता सोमेलाल, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम-तुमड़ीभाट
 31. पिन्की पिता सोमेलाल, उम्र-11 वर्ष, जाति गोंड

निवासी-ग्राम तुमड़ीभाट, तहसील बैहर, जिला बालाघाट
32. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर बालाघाट

.....प्रतिवादीगण

:: निर्णय ::

(आज दिनांक-25/03/2017 को पारित किया गया)

01- यह वाद पैतृक संपत्ति के हक घोषणार्थ तथा वादग्रस्त भूमि से संबंधित संशोधन पंजी क्रमांक 28 दिनांक 05/01/1978, क्रमांक 86 दिनांक 28/05/1976, क्रमांक 01 दिनांक 07/02/2003 को प्रभावशून्य घोषित किये जाने बाबत प्रस्तुत किया है।

02- संक्षेप में वाद यह है कि विवादित भूमि वादी की पैतृक संपत्ति है। वादी के पिता स्व. प्रतापसिंह की तीन पत्नियां थी। पहली पत्नि सुहानाबाई से उसे गिन्दियाबाई, लोकनाथसिंह, बिछलबाई, कौशुलाबाई (वादी) और दूसरी पत्नी अनारकुंवरबाई से उसे डीलनसिंह, नारायणसिंह, खेलसिंह, प्रेमलाल, भानुबाई, पारबतीबाई, सरस्वतीबाई, गुलाबतीबाई, तखतसिंह, त्रिलोकसिंह एवं तीसरी पत्नी बैनबाई से हिम्मतसिंह, हेमराज थे। इस प्रकार प्रतापसिंह के कुल 16 वारसान थे, जिसमें तखतसिंह और त्रिलोकनाथ सिंह नाबालिग अवस्था में ही फौत हो चुके हैं तथा गिन्दियाबाई व उसके पति द्विपसिंह फौत हो चुके हैं, जिनके पुत्र नवलसिंह, चैतनसिंह, झनकलाल, बंशपाल हैं। डीलनसिंह फौत पत्नी मीराबाई व पुत्र चन्द्रभान व पुत्रियां शतवन्ती, चमेली हैं। गुलाबतीबाई फौत पति नान्हू पुत्र राजू एवं पुत्री रानु हैं। हिम्मतसिंह फौत पत्नी मथुराबाई फौत पुत्र तथा पुत्रियां कलावती बाई, रूपराम सिंह, मुन्नीबाई, कैलाश, गनेश बाई, धरमकुंवर केशर सिंह है। कलावती बाई भी फौत पति चंदनसिंह पुत्र तथा पुत्रीयां कुंवरसिंह, सम्मे बाई, रम्मेबाई। रम्मेबाई फौत पति सोमेलाल पुत्र ६ नश्याम पुत्री पिकी है। वादी के पिता प्रतापसिंह वर्ष 1975 में फौत हो गये थे और उनके बाद माँ सुहानाबाई व अनारकुंवर बाई फौत हुई थी एवं बैयनबाई पहले फौत हो चुकी है।

03- प्रतापसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में मौजा खुड्डीपुर, प.ह.नं. 23 में पुत्र लोकनाथसिंह के लिये खसरा नंबर-2/2 रकबा 4.00 एकड़ भूमि क्रय की गई थी। उसी प्रकार पुत्र हेमराज के लिए खसरा नंबर-3, रकबा 9.98 एकड़ भूमि खरीदी गई थी तथा तखतसिंह के लिए खसरा नंबर-4 रकबा 9.86

एकड़ भूमि कय की थी। तखतसिंह के फौत होने के उपरांत उक्त भूमि पर प्रतापसिंह का नाम दर्ज रहा, इसी तरह प्रतापसिंह ने अपने जीवनकाल में मौजा फत्तेपुर प.ह.नं. 10 में पुत्र त्रिलोकनाथसिंह के नाम पर खसरा नंबर 14 रकबा 13.34 एकड़, खसरा नंबर-32 रकबा 13.35 एकड़, ऐसी कुल भूमि 26.89 एकड़ कय किया। उक्त भूमि त्रिलोकनाथ के फौत होने के बाद पुत्र नारायणसिंह को दे दी गई। प्रतापसिंह ने पुत्र लोकनाथसिंह, हेमराजसिंह, नारायणसिंह को अलग-अलग भूमि दी, जिसमें वे मालिक काबिज हो गए तथा शेष बचत भूमि उसके शेष वारसान को प्राप्त होना था। प्रतापसिंह द्वारा वादी कौसुलाबाई के लिए हीरुसिंह को घर जवाई लाया गया था और वादी और उसके पति हीरुसिंह द्वारा प्रतापसिंह की संपूर्ण भूमि कास्त की जाती थी और प्रतापसिंह व सुहानाबाई, अनारकुंवर का पालन-पोषण किया जाता था। प्रतापसिंह के सभी पुत्र शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, इसलिए वे खेती नहीं करते थे तथा प्रतापसिंह की पुत्रियां शादी होने के बाद अपने-अपने ससुराल चलीं गई थी। प्रतापसिंह द्वारा वादी को ग्राम खुड्डीपुर में एक मकान भी बनाकर दिया गया है, जिसमें वादी का परिवार निवास कर रहा है। प्रतापसिंह के फौत होने के बाद वादी के भाई नारायणसिंह, लोकनाथसिंह, हेमराजसिंह को छोड़ कर सभी भाई बहनों ने पिता की भूमि मौजा खुड्डीपुर, मौजा भीड़ी, मौजा फत्तेपुर को बराबर-बराबर भाग कें बांटकर कास्त करने लगे।

04— वर्ष 2011 में वादी के कब्जे वाली भूमि मौजा खुड्डीपुर प.ह.नं-23 में प्रतिवादी क्रमांक-2 लोकनाथसिंह ने उसे कास्त करने से मना किया और घर से निकाल देने की बात कही, तब शका होने पर उसने संपत्ति से संबंधित सभी दस्तावेज निकाले तो देखा कि मौजा खुड्डीपुर की भूमि पर मात्र लोकनाथसिंह का नाम दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम भीड़ी की भूमि पर मात्र प्रतापसिंह की पत्नियां और पुत्रों का नाम दर्ज किया गया, पुत्रियों का नहीं, जबकि ग्राम फत्तेपुर में सभी पुत्र, पुत्रियों एवं पुत्र का नाम दर्ज किया गया। प्रतापसिंह के फौत होने के पश्चात् गांव में जहां-जहां भी उसके नाम की भूमि थी में सभी वारसानों को अपना-अपना नाम दर्ज कराने हेतु कहा गया था, किन्तु वादी के भाईयों द्वारा चोरी से अपना नाम दर्ज करवा लिया गया और सिर्फ ग्राम फत्तेपुर में सभी बहनों का दर्ज करवा दिया और बताया गया कि उसका नाम रिकार्ड में दर्ज है। इस कारण वादी ने उक्त संपत्ति का रिकार्ड नहीं देखा और शांतिपूर्वक कास्त करती रही। मौजा खुड्डीपुर, मौजा भीड़ी,

मौजा फत्तेपुर की भूमि प्रतापसिंह की भूमि है, जिसकी वादी वैध संतान हैं, जिस कारण उसका उक्त भूमि पर वैधानिक हक है।

05— प्रतापसिंह की मृत्यु के पश्चात् सभी भाई-बहनों का नाम मौजा खुड्डीपुर, मौजा भीड़ी, मौजा फत्तेपुर में दर्ज किया जाना था, किन्तु ऐसा नहीं किया गया और पटवारी एवं राजस्व कर्मचारियों से मिलकर सिर्फ भाईयों का नाम दर्ज किया गया है, जो विधि विरुद्ध है, इसलिस संशोधन पंजी क्रमांक-28, दिनांक-05.01.78 मौजा खुड्डीपुर, प.ह.नं-23 तथा संशोधन पंजी क्रमांक-86 दिनांक-28.07.76, मौजा भीड़ी प.ह.नं-7, मौजा फत्तेपुर प.ह.नं.10 संशोधन पंजी क्रमांक-1 दिनांक-07.02.2003 वादी पर बंधनकारक नहीं है और प्रभावशून्य घोषित किये जाने योग्य है। मौजा फत्तेपुर में सभी वारसानों के मध्य बंटवारा होना था, किन्तु पटवारी से मिलकर फर्जी सहमति पत्र के आधार पर नाम काटकर बंटवारा कर दिया गया है।

06— प्रतिवादी पक्ष द्वारा वादपत्र को सारभूत रूप से अस्वीकार करते हुए विशेष कथन किये हैं कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही गोंड जाति के लोग हैं तथा वे गोंड जाति-रिवाज एवं धर्म को मानते हैं। गोंड जाति हिन्दू अधिनियम से बाधित नहीं है। गोंड जाति का रिवाज ही उनका नियम है। गोंड जाति में लड़की को जमीन जायदाद में कोई हिस्सा या अंश नहीं मिलता। वादी एवं प्रतिवादीगण ग्राम भीड़ी, फत्तेपुर, डोरा एवं खुड्डीपुर में लगभग 40-50 वर्षों से अलग-अलग निवास करते हैं। प्रतापसिंह तथा उसके पूर्व से ही खातेदारों की मृत्योपरांत पुत्रियों को छोड़कर पुत्रों का ही नामान्तरण गोंड जाति के रिवाज अनुसार होता चला आ रहा है। पूर्व में किसी पुत्री को हिस्सा नहीं दिया गया है और न ही हिस्सा प्राप्त करने का नियम है। ग्राम फत्तेपुर में लड़कियों का नाम भूलवश दर्ज हो गया है, किन्तु उनका कोई हक नहीं है और लड़कियों द्वारा अपना नाम न रखने की सहमति दी गई है। वादी कौशुलाबाई का विवाह ग्राम सिंघई में हुआ था और उसका अपने पति से विवाद होने के कारण वह वापस आ गई और प्रतापसिंह ने उसे एक मकान एवं 2.50 एकड़ जमीन खरीद कर दिया था। अतः वादी का वाद अवधि बाह्य होकर विधि विरुद्ध होने से सव्यय निरस्त किये जाने की याचना की गई है।

07— उभयपक्ष के अभिवचन के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये थे जिनके निष्कर्ष उनके सम्मुख साक्ष्य विवेचना उपरांत अंकित किये जा रहे हैं:-

क मांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	<p>क्या विवादित भूमि मौजा खुड्डीपुर खसरा नंबर-7/36 रकबा 0.15 डिसमिल, खसरा नंबर-4 रकबा 9.86 एकड़ कुल 10.01 एकड़ मौजा भीड़ी खसरा नंबर-154/2ग रकबा 2.51 एकड़ खसरा नंबर 154/3ग रकबा 0.98 डि., खसरा नंबर-155/2 रकबा 1.25 एकड़ खसरा नंबर-156/2 रकबा 2.13 कुल 6.77 एकड़, मौजा फत्तेपुर ख.नं. 19 रकबा 0.40, ख.नं. 20 रकबा 0.75ए., ख.नं.21 रकबा 2.00 एकड़, ख.नं. 79 रकबा 3.67 ए, ख.नं. 76, 77/1 रकबा 4.44 ए. ख.नं. 80 रकबा 5.25 एकड़, ख.नं. 83, 84, 85, 86/1 रकबा 0.89 ए, ख.नं. 94, 95 रकबा 0.35 ए. ख.नं. 112/2 रकबा 0.80 ए, ख.नं.140 रकबा 1.49 एकड़, ख.नं. 142 रकबा 0.20ए, ख.नं. 145 रकबा 2.61 एकड़, ख.नं. 146/1, 148/1 रकबा 1.10 एकड़, ख.नं. 147, 151 रकबा 2.16 एकड़, खसरा नंबर-150 रकबा 0.04एकड़, ख.नं. 154 रकबा 0.19 एकड़, खसरा नंबर-155/12,13 रकबा 0.18एकड़, ख.नं. 164, 165 रकबा 0.20 एकड़, ख.नं. 166/4, 166/7, 168/1 रकबा 1.11एकड़, ख.नं. 167 रकबा 0.45 एकड़, ख.नं. 168/2 रकबा 0.20 एकड़, ख.नं. 169, 170 रकबा 2.52 एकड़, ख.नं. 181 रकबा 0.49 एकड़, ख.नं. 183 रकबा 3.07 एकड़, ख.नं. 184 रकबा 11.28 एकड़, ख.नं. 185, 186 रकबा 10.67 एकड़, ख.नं. 188 रकबा 1.65 एकड़, ख.नं. 189 रकबा 2.25 एकड़, ख.नं. 190 रकबा 2.51 एकड़, ख.नं. 191 रकबा 0.98 एकड़, ख.नं. 192, 193 रकबा 9.92 एकड़, ख.नं. 194 रकबा 1.51 एकड़ वादी की पैतृक भूमि है ?</p>	“प्रमाणित”
2	क्या उभयपक्ष हिन्दू विधि से शासित होते हैं या गोंड विधि से ?	“प्रमाणित नहीं”
3	क्या विधि अनुसार वादी विवादित भूमि की स्वत्वधारी है ?	“प्रमाणित नहीं”

4	क्या वाद समयावधि में हैं ?	“प्रमाणित”
5	सहायता एवं वाद व्यय ?	निर्णय की कण्डिका “15” के अनुसार वाद खारिज।

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक-4 का निष्कर्ष:-

08- वादी कौशुलाबाई (वा0सा01) के अनुसार वर्ष 2001 में स्व. लोकनाथ के उसे मौजा खुड्डीपुर की भूमि पर कास्त करने से रोकने पर उसके द्वारा समझाया गया परंतु लोकनाथ नहीं माना और कहने लगा कि अभी तो खेत से निकाल रहा हूँ बहुत जल्द घर से निकाल दूँगा। जिसके बाद उक्त बात उसने सभी भाईयों के बीच रखी मगर कोई सुनवाई नहीं होने पर उसने दिनांक 18.06.11 को अपने पिता की भूमि संबंधी समस्त ग्राम खुड्डीपुर, भीड़ी के राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया तो पता चला की ग्राम खुड्डीपुर की भूमि पर केवल स्व. लोकनाथ, ग्राम भीड़ी की भूमि पर प्रतापसिंह की पत्नियों तथा पुत्रों एवं ग्राम फत्तेपुर की भूमि पर प्रतापसिंह के सभी वारसानों का नाम दर्ज किया गया है। प्रतिवादीगण का अभिवचन है कि वादी ने जानबूझकर संशोधन पंजी विवरण दिनांक के अनुसार अंकित नहीं किया है। वादी ने दिनांक 18.06.11 एवं दिनांक 18.07.11 को प्राप्त होने वाली जानकारी का कथन कर दिनांक 23.07.11 के दस्तावेजों के आधार पर बिना कथन मात्र वाद को समायवधि से बचाने के लिए किया है। वादी को दिनांक 05.01.1978 दिनांक 28.05.1976 तथा अन्य समस्त दस्तावेजों के संशोधन की पूर्व से जानकारी थी जिसके कारण वाद अवधि के बाहर है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है और न ही उक्त संबंध में वादी कौशुलाबाई (वा0सा01) के प्रतिपरीक्षण में कोई तथ्य लायें हैं। उक्त तथ्यों को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है कि वादी को उक्त तथ्यों की जानकारी पूर्व से थी। सामान्यतः महिला और वह भी ग्रामीण परिवेश, के संबंध में यह उपधारित नहीं किया जा सकता कि उसे राजस्व प्रलेखों की वर्तमान स्थिति का ज्ञान हो। अपने अभिवचनों के संबंध में वादी के कथन विश्वसनीय प्रतीत होते हैं कि उसे वर्ष 2011 में दस्तावेजों के अवलोकन से विवादग्रस्त भूमि की वर्तमान स्थिति का पता चला होगा जिससे वर्तमान वाद परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अवधि में प्रस्तुत होना सिद्ध होता है।

परिणामस्वरूप विवाद्यक क्रमांक 04 का निष्कर्ष प्रमाणित के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक-1 का निष्कर्ष:-

09— वादी कौशुलाबाई (वा0सा01) के अनुसार वादग्रस्त संपत्ति उसके पिता की बनायी हुई संपत्ति है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया है और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है। वादी द्वारा वाद के समर्थन में प.ह.नं.23 मौजा खुड्डीपुर की भूमि के अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 की सत्य प्रति प्र.पी.01, लोकनाथ के नाम पर दर्ज भूमि के अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 की सत्य प्रति प्र.पी.02, ग्राम खुड्डीपुर प.ह.नं.23 के अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.03 तथा 04, ग्राम फत्तेपुर के अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 की प्रमाणित प्रति प्र.पी.05, मौजा भीड़ी प.ह.नं.07 के अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 की प्रति प्र.पी.06, ग्राम खुड्डीपुर की संशोधन पंजी क्रमांक 28 दिनांक 05.01.78 की प्रति प्र.पी.07, मौजा भीड़ी प.ह.नं. 07 की संशोधन पंजी क्रमांक 86 दिनांक 28.05.76 की प्रति प्र.पी.08, मौजा फत्तेपुर प.ह.नं.10 की संशोधन पंजी क्रमांक 01 दिनांक 07.02.03 की प्रति प्र.पी.09, ग्राम फत्तेपुर की संशोधन पंजी क्रमांक 15 दिनांक 10.12.75, क्रमांक 17 दिनांक 26.11.1977, क्रमांक 06 दिनांक 19.10.58 की प्रतियां जो प्र.पी.10,11,12 हैं तथा मौजा भीड़ी प.ह.नं.07 की संशोधन पंजी क्रमांक 67 दिनांक 25.10.60, क्रमांक 66 दिनांक 25.11.60, क्रमांक 64 दिनांक 25.11.60 की प्रतियां जो क्रमशः प्र.पी.13, 14 तथा 15 हैं, प्रस्तुत की हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के दस्तावेजों की सत्यता को कोई चुनौती नहीं दी गयी है। वादी द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि के अधिकार अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से उक्त भूमि प्रतापसिंह के जीवनकाल में उसके नाम पर दर्शित है। वादी द्वारा प्रतापसिंह की संपत्ति के स्रोत के संबंध में कोई अभिवचन नहीं किया गया है। तथापि वादी के दस्तावेजों से यह सिद्ध होता है कि उक्त संपत्ति प्रतापसिंह की होकर उसकी पैतृक संपत्ति है। परिणामस्वरूप विवाद्यक क्रमांक 01 का निष्कर्ष प्रमाणित के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक-02 का निष्कर्ष:-

10— हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(2) यह उपबंध करती है कि उक्त अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को, जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड(25) के अर्थ के अंतर्गत

अनुसूचित जनजाति हो, लागू न होगी, जब तक केन्द्र सरकार द्वारा उक्त संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाय। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत—मधुकिश्वर विरुद्ध बिहार राज्य एवं अन्य ए.आई.आर. 1996 एस.सी.1864. में यह प्रतिपादित किया गया है कि उत्तराधिकार अधिनियम प्रथा से शासित होने वाली जनजातियों पर लागू नहीं होता है। अतः हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पक्षकारों पर लागू नहीं होता है क्योंकि कथित गोंड अथवा राज गोंड जनजाति के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी है। अब प्रश्न यह है कि क्या उभयपक्ष हिन्दु विधि से शासित होते हैं अथवा गोंड विधि से। उक्त संबंध में कौशुलाबाई (वा0सा01) का कथन है कि वह तथा प्रतिवादीगण स्व. प्रतापसिंह की वैध वारसान हैं। उसके पिता प्रतापसिंह राज गोंड ठाकुर थे और उनके परिवार में हिन्दु प्रथा लागू होती है। उनके परिवार में हिन्दु रीति रिवाज से कार्य संपन्न होते हैं तथा परिवार में पुत्रियों को पिता की संपत्ति पर हक प्राप्त होता है। उक्त कथनों का समर्थन दुलमसिंह (वा0सा02) ने किया है जिसके अनुसार वादी के पिता राज गोंड ठाकुर होकर हिन्दु रीति रिवाज से कार्य संपन्न करते थे। वादी के परिवार में पुत्रियों को हिस्सा प्राप्त होता है इसलिए ग्राम फत्तेपुर की भूमि पर सभी वारसानों का नाम दर्ज हुआ था और कलाबाई को ग्राम फत्तेपुर में भूमि बटवारे में प्राप्त हुई थीं। जबकि प्रतिवादीगण का अभिवचन है कि वादी एवं प्रतिवादीगण गोंड जाति के होकर अपने रीति रिवाज एवं धर्म को मानते हैं तथा हिन्दु विधि से शासित नहीं होते हैं। गोंड जाति में लड़की को जमीन—जायजाद में कोई हिस्सा अथवा अंश नहीं मिलता है। यदि किसी व्यक्ति का घर बर्बाद हो जाये तो परिवारवाले उसे सहायता करते हैं।

11— सबूत का भार वादी पर है कि वह यह सिद्ध करे कि उभयपक्ष उसके अभिवचन के अनुसार हिन्दु विधि से शासित होते हैं और पुत्रियों को पिता की संपत्ति पर हक प्राप्त होता है। उक्त तथ्यों को सिद्ध करने के लिए ठोस सबूतों की आवश्यकता है जैसा कि न्याय दृष्टांत—सोनाबाई विरुद्ध लक्ष्मीबाई ए.आई.आर.1957 नागपुर 76. में प्रतिपादित किया गया है। वादी को साक्ष्य से यह सिद्ध करना था कि वह लोग अपनी रूढ़िगत प्रथाओं को त्यागकर उत्तराधिकार के संबंध में हिन्दु विधि से शासित होते हैं। परंतु वादी द्वारा उक्त संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। उक्त संबंध में वादी साक्षियों द्वारा मात्र मौखिक अभिवचन किये गये हैं। जिससे ऐसी कोई

उपधारणा नहीं की जा सकती। कौशुलाबाई (वा0सा01) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किये हैं कि वादग्रस्त भूमि पर वर्तमान में किसी भी बहन का नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज नहीं है। उसकी बुआ को दादा के मरने के बाद जमीन नहीं मिली थीं अपितु प्रतापसिंह ने स्वयं पांच एकड़ जमीन दी थी। दुलमसिंह (वा0सा02) ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वादी के अलावा प्रतापसिंह की छः लड़कियां थीं तथा किसी भी लड़की को कोई जमीन वगैरह नहीं दी गयी थी। वादी द्वारा हिन्दु विधि से शासित होने तथा लड़कियों को संपत्ति पर अधिकार प्राप्त होने के संबंध में कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत नहीं की गयी है। इसके विपरीत प्रतिवादीगण के घर के बर्बाद होने पर परिवारवालों द्वारा सहायता करने के अभिवचन विश्वसनीय प्रतीत होते हैं क्योंकि दुलमसिंह (वा0सा02) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि सिंघई वाले पहले पति से वापस आने के पश्चात वादी के लिए दूसरा घर जमाई लाया गया था और वादी प्रतापसिंह द्वारा दिये गये मकान में रहती है। स्वयं वादी कौशुलाबाई (वा0सा01) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि हीरूसिंह की कोई जमीन नहीं थी तथा उसे घर पर लाकर शादी करने के बाद उसके पिता द्वारा प्रदत्त जमीन और मकान के विवाद के कारण उसके द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है।

12— वादी कौशुलाबाई (वा.सा.01) ने अपने प्रतिपरीक्षण में कंडिका-16 में यह कथन किया है कि प्रतापसिंह की तीन पत्नियों की आपस में नहीं पटती थी। इसलिए तीनों को अलग-अलग रखते थे। खुड्डीपुर में सुहानाबाई, फत्तेपुर में बयनबाई तथा भीड़ी में अनारकुंवरबाई रहती थी। प्रतापसिंह के मरने के बाद खुड्डीपुर की जमीन पर बयनबाई के बच्चों का नाम नहीं चढ़ा। आगे कंडिका-17 में उसका कथन है कि प्रतापसिंह ने अपने जीत जी तीनों पत्नियों को अलग-अलग कर दिया था। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा की कंडिका-08 में अभिवचन किये हैं कि पूर्व में किये गये संशोधनों में पुत्रों के नाम पर ही नामांतरण किया गया है। भीड़ी की जमीन पर पुत्रियों का नाम यदि भूलवश दर्ज भी किया गया हो तो स्वयं वादी ने स्वीकार किया है कि सहमति के आधार पर बटवारा किया गया है। रिवाज से बाधित होने के कारण सामान्य स्थिति में पुत्रियों की सहमति से उनका नाम अलग हो जाना वैधानिक है। पुत्रियों का नामांतरण होना ही नहीं था और जो भूलवश हुआ है उसे वैधानिक दृष्टि से अपास्त कर दिया गया है। दुलमसिंह (वा0सा02) ने अपने

प्रतिपरीक्षण की कंडिका-11 में कथन किया है कि प्रतापसिंह के जीते जी लोकनाथ, हेमराज, नारायणसिंह वगैरह के बटवारे अलग-अलग हो गये थे।

13— वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्र.पी.09 से यह दर्शित होता है कि प्रतापसिंह के वारसानों द्वारा आपसी सहमति से बटवारा किया गया है। कौशुलाबाई (वा0सा01) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-20 में स्वीकार किया है कि लोकनाथ से विवाद होने के कारण उसके द्वारा कार्यवाही की गयी। वादी द्वारा जिस कथित सहमति पत्र को चुनौती दी गयी है उसे प्रमाणित ही नहीं कराया गया है। उक्त विवेचना से यह दर्शित होता है कि प्रतापसिंह के वारसानों द्वारा वादग्रस्त भूमि का आपसी सहमति से बटवारा कर लिया गया है जिसे स्वयं वादी द्वारा अपने अभिवचनों एवं कथनों में स्वीकार किया गया है। प्रतापसिंह की तीन पत्नियां तथा कई पुत्र-पुत्रियां होना स्वीकृत है। जिससे उक्त तथ्य को बल मिलता है कि उभयपक्ष हिन्दु प्रथा से शासित न होकर अपनी गोंड प्रथा से शासित होते हैं। परिणाम स्वरूप विवाद्यक क्रमांक 02 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक-03 का निष्कर्ष:-

14— वादी द्वारा हिन्दु विधि से शासित होकर पुत्रियों का पिता की संपत्ति में अधिकार सिद्ध नहीं किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत-मधुकेश्वर विरुद्ध बिहार राज्य एवं अन्य ए.आई.आर.1996 एस.सी.1864. में यह कहा गया है कि जन जातियों की प्रथाएं क्षेत्रवार व जातिवार अलग-अलग होती हैं। मेघालय को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में पुरुष उत्तराधिकार प्रथाओं में पाया जाता है तथा पुत्रों को पुत्रियों पर प्रधानता दी जाती है। यद्यपि प्रतिवादीगण द्वारा भी पुत्रियों को अधिकार न मिलने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। तथापि हिन्दु विधि से शासित होकर पिता की संपत्ति पर पुत्रियों के अधिकार को सिद्ध करने का प्रथम भार वादी पर था जिसमें वह पूर्णतः असफल रही है। वादी कौशुलाबाई वा0सा01 के अनुसार उनके परिवार में पुत्रियों को हिस्सा प्राप्त नहीं होता तो कलाबाई को प्रतिवादीगण द्वारा ग्राम फत्तेपुर में भूमि नहीं दी जाती, जिसका समर्थन दुलमसिंह वा0सा02 ने भी किया है। परंतु उक्त संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मात्र मौखिक कथनों से ऐसी कोई उपधारणा नहीं की जा सकती। वादी द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे यह दर्शित हो सके कि प्रतापसिंह की पुत्रियों को वादग्रस्त भूमि पर

कोई हिस्सा मिला हो। पूर्व विवेचना से भी यह दर्शित है कि प्रतापसिंह के वारसानों द्वारा वादग्रस्त भूमि का आपसी बटवारा कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता की उसे वादग्रस्त भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त होता है। परिणाम स्वरूप विवादक क्रमांक 03 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

सहायता एवं व्यय:-

15- उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रही है। परिणाम स्वरूप वर्तमान वाद खारिज किया जाता है।

16- वाद व्यय वादी द्वारा वहन किया जावेगा।

17- अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सारणी अनुसार जो भी न्यून हों अदा की जावे।

तदनुसार डिक्री तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
बैहर बालाघाट म.प्र.

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
बैहर बालाघाट म.प्र.